न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—290/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/290)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी थली मोड बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गुदड उर्फ गुदडमल जाति बलाई निबासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकड़ी, अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.12.2021.

उपस्थितः—

1. श्री, एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः— 25.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 16.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धरा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 7.9.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 8.9.2021 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए और पत्रावली दिनांक 24.9.2021 को नियत की दिनांक 24.9.2021 को पत्रावली मौका रिपोर्ट इंतजार व अप्रार्थी की तलबी की जाकर मिसल दिनांक 16.12.2021 को पेश हो। दिनांक 16.12.2021 को अप्रार्थी/अपीलांट को प्रशासन, गांव के संग अभियान 2021 लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत दिनांक 16.12.2021 को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी/अपीलांट उपस्थित हुआ और उसी दिन उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार प्रार्थी द्वारा चाहे गए अनुसार खसरा नम्बर 2326/5379, 2330 आबादी भूमि में से एवं खसरा नम्बर 2331 में से रास्ता प्रदान करते हुए प्रभावित खातेदार जिनकी भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रही है को भुगतान करने एवं राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 16.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी की प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित नहीं है क्योंकि उक्त फर्दअहकाम में दिनांक 8.9.2021 को अप्रार्थी को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए है तथा दिनांक 24.9.2021 को भी अप्रार्थी की तलबी और मौका रिपोर्ट इंतजार अंकित कर दिया जबकि मौका रिपोर्ट को मंगवाए जाने का आदेश अंकित नहीं है और दिनांक 16.12.2021 को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2330 गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 2331 सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहा। खसरा नम्बर 2330 जो गैर मुमकिन आबादी दर्ज होकर ग्राम पंचायत बघेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है इसी प्रकार खसरा नम्बर 2376/5379 जिसके लिए रास्ता नहीं चाहा गया था तथा उक्त खसरा नम्बर भी ग्राम पंचायत बघेरा के नाम दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया बिना पक्षकार बनाए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को दिनांक 16.12.2021 को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, उक्त दिनांक को अपीलांट लोक अदालत में उपस्थित हुआ तथा अभिभाषक नियुक्त करने हेतु एवं जवाब व सुनवाई का अवसर चाहा लेकिन उसे अवसर नहीं दिया गया। जिसमें खसरा नम्बर 2331 में आने जाने का रास्ता जो चालू था जो कि खसरा नम्बर 2331 के पश्चिमी ओर की ओर से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2339/5381 में जाता है के बाबत अंकन यिका एवं दूसरा रास्ता पीछे से गोपाल खारोल के मकान के पास से होना बताया और सम्पूर्ण कार्यवाही राजनैतिक द्वेषता के कारण की जानी बताई। इस प्रकार अपीलांट को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा मौका रिपोर्ट भी अपीलांट के उपस्थित होने से पूर्व एकपक्षीय बना दी गई और निर्णय पारित कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत एक खातेदार को अपनी कृषि खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तो उसे अन्य खातेदार की कृषि भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है, परंतु आबादी भूमि में से रास्ता देने का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें पक्षकार सहमत हो अथवा राजीनामा अनुसार कोई निर्णय पारित करवाना चाहते हो अन्यथा निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2330 जो गैर मुमकिन आबादी होकर ग्राम पंचायत बघेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आबादी भूमि पर प्रार्थी व अन्य 10 परिवार काबिज है और लगभग 20 वर्षों से अधिक से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा अपीलांट का भी जहां पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने रास्ता दिया है वहां अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

का बोरिंग किया हुआ है शौचालय बना हुआ है तथा बाड़ा बना हुआ है जिस पर चारा व जानवर बांधे जाते है तथा प्रार्थी ने उक्त भूमि के लिए भी पट्टे लेने हेतु वर्षो से प्रयासरत है। उपरोक्त सभी कार्यवाही राजनैतिक द्वेषता की भावना से अपीलांट को बेदखल किए जाने के उद्देश्य से की गई है जबकि रेस्पोडेंट के पास अपने खातेदारी भूमि में जाने हेतु विकल्प में रास्ता है। अगर वैकल्पिक रास्ता हो तो सुविधा की दृष्टि से भी रास्ता नहीं दिया जा सकता क्योंकि रेस्पोडेंट के पास खसरा नम्बर 2331 के पश्चिमी तरफ से वह आता जाता है जो भौतिक रूप से रास्ता कायम साथ ही आबादी भूमि में से उक्त धारा के तहत रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने आदेश पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम बघेरा की जमाबंदी संख्या 2073–76 के खाता संख्या 271–247 के खाता संख्या 2339/5381 रकबा 0.49 है0 किस्म बारानी दर्ज रिकार्ड खातेदार अंकन हैं, एवं जमाबंदी संख्या 2073–76 के खाता संख्या 1989–1 के खसरा नम्बर 2330 रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 आ0 ग्राम पंचायत आबादी दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या नया–पुराना 1–1 खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.81 है0 किस्म बारानी 3 सिवायचक दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु मौके पर कोई अन्य रास्ता दर्शित नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट की उक्त वाद वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2330 व 2331 में से ही उत्तरी दिशा की तरफ टोडारोड की तरफ से आते जाते है। उक्त रास्ते को ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। आने जाने हेतु 30 फीट रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज कब्जा कर खसरा नम्बर 2330 में अवैध शौचालय का निर्माण कर रखा है। इसलिए उक्त अतिक्रमण को हटवाया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेंट को रास्ता दिलाया जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी/अपीलांट के खेत खसरा में आने –जाने के लिए खसरा नम्बर 2331 में से वर्तमान में रास्ता चालू है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका देख कर मौका रिपोर्ट तैयार की है खसरा नम्बर 2330 में से रास्ते देने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत, बघेरा ने अपनी सहमति दी है तथा खसरा नम्बर 2331/5381 रकबा 0.49 है0 में आने–जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में रास्ते बाबत् राशि जमा करायी जा चुकी है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना की चुकी है इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित नहीं किये हैं तथा खसरा नम्बर 2330 जो की गैरमुमकिन आबादी में दर्ज है किन्तु ग्राम पंचायत, बघेरा को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मौका रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलांट की अनुपस्थित में बनाई गई है। प्रकरण का निस्तारण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 लोक अदालत मे किया गया जबकि लोक अदालत में केवल नहीं प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिए जिसमें पक्षकार सहमत हो अथवा राजीनामा अनुसार कोई निर्णय पारित करवाना चाहते हो। अप्रार्थी/अपीलांट स्वयं एवं जरिये अभिभाषक को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में चाहे गये रास्ते के खसरा नम्बरान सें सम्बन्धित सभी पक्षकारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः 1. आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिए न कि केवल सुविधा 2. वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर पुनः प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे विवादित रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः 1. आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिए न कि केवल सुविधा 2. वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए को ध्यान में रखते हुए एवं चाहे गये रास्ते के खसरा नम्बरान से सम्बन्धित सभी पक्षकारो को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर तथा सभी पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से कम स्तर के अधिकारी नहीं हो के द्वारा मौका निरीक्षण में मौका रिपोर्ट तैयार कर पुनः प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर